[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

(आयकर)

का.आ. जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के जरिए औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित एवं अधिसूचित की है।

और जबकि मैसर्स श्याम डवलपर्स, जिसका पंजीकृत पता ए-1, शिवशक्ति शॉपिंग सेंटर, सम्राट नगर के सामने, इशानपुर, अहमदाबाद-382443 है, ने भूखंड संख्या 75/ 1 + 75/ 2/1, [ओ पी नं. 89/1, 91 से 94+ 95/1 + 97 एफ पी नं. 89/1+ (91 से 94+ 95/1+ 97/1), टी पी नं. 107 (रामोल), क्रम सं. 636/1, 636/2 (638+639+640+641+642/ए/पी)+644] रामोल, डास्क्रोई, अहमदाबाद, गुजरात पर औद्योगिक पार्क विकसित किया है।

अब इसलिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा मैसर्स श्याम डवलपर्स को उपक्रम के रूप में तथा भूखंड संख्या 75/ 1 + 75/ 2/1, [ओ पी नं. 89/1, 91 से 94+ 95/1 + 97 एफ पी नं. 89/1+ (91 से 94+ 95/1+ 97/1), टी पी नं. 107 (रामोल), क्रम सं. 636/1, 636/2 (638+639+640+641+642/ए/पी)+644] रामोल, डास्क्रोई, अहमदाबाद, गुजरात

पर परियोजना को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में उक्त उपक्रम द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित एवं प्रचालित के रूप में अधिसूचित करती है।

2. पूर्वोक्त औद्योगिक पार्क के शुरूआत की तारीख 31 मार्च, 2009 है।

3. अधिसूचना अमान्य होगी और मैसर्स श्याम डवलपर्स, अहमदाबाद इस अमान्यता के किसी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, यदि

(iii) इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन और परवर्ती दस्तावेजों जिनके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना/ झूठी सूचना हो अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान न की गई हो।

(iv) यह ऐसे औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए हो जिसके लिए अधिसूचना पहले ही अन्य उपक्रम के नाम जारी की जा चुकी हो।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की योजना में किसी संशोधन से अथवा भविष्य में पता चलने अथवा आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर न किए जाने से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अमान्य हो जाएगा।

[अधिसूचना सं.73/2010 फा.सं. 178/ 97/ 2008- आ.क.नि.-I]

र० चोपड़ा

(रमन चोपड़ा)
निदेशक. आ.क.नि.-I

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के निकट), नई दिल्ली